FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

श्री चुन्नीलाल बनाम श्री रामचन्द्र

किस्म मुकद्दमा 88 नं. 72-18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट विनायका पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि चुन्नीलाल/हरजुलाल गुर्जर एवं रामचन्द्र/प्यारा, रामेश्वर/प्यारा, चांदीप्रेमी/प्यारा गुर्जर ईरा खोतिदारी घोषणा का डिक्रीपत्र मिले	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा उवदा की ख.नं. 436 रकबा 1.22 है. में से 1.01 हैक्टेयर वादी को काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official